माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः परीक्षा ॥ / 2011 6321 दिनांकः 04/8/11

—: कार्यालय आदेश :—

बोर्ड परीक्षाओ मे प्रविष्ठ होकर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों द्वारा उनके प्रमाण पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में प्रतिलिपि (डुप्लीकेट) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वर्तमान में प्रार्थी से नोटरी से मय फोटो प्रमाणित शुदा शपथ पत्र एवं 1999 तक की परीक्षाओं के लिये रूपये 75/— एवं 2000 एवं इससे आगे की परीक्षाओं के लिये रूपये 100/— शुल्क प्राप्त कर प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक से प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र मे दिये गये पते पर भेजा जाता है।

प्रतिदिन कार्यालय में बड़ी संख्या मे ऐसे परीक्षार्थी आते हैं जो अपने विभिन्न दस्तावेज दिखाकर यह दलील देते है कि उन्हें प्रमाण पत्र तुरन्त ही चाहिये अन्यथा स्थिति में उनका चयन साक्षात्कार आदि निरस्त हो जायेगा। मूलतः परीक्षार्थियों की इसमें त्रुटि है कि उन्हें कार्यालय में लगने वाले समय व प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए समय से पूर्व आवेदन करना चाहिये, परन्तु छात्र व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं करते है। इससे संबंधित परीक्षा शाखा ॥ के सामने परेशानी उत्पन्न हो जाती है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में वर्ष 2006 से 2011 के अंकतालिका सह प्रमाण पत्र/प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अमल में लाई जावे :—

1. प्रार्थी को आवेदन पत्र के साथ नोटरी से मय प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा साथ ही शपथ पत्र में भी यह अंकन करेगा कि मूल प्रमाण पत्र मिलने पर बोर्ड में पुनः जमा करा दूंगा, तथा अखबारों में प्रमाण पत्र /अंकतालिका मय प्रमाण पत्र के खोने की विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी है।
2. आवेदन पत्र के साथ प्रेस अधिसूचना के प्रकाशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें अभ्यर्थी का नाम व पता पूरा आवश्यक है। प्रेस अधिसूचना का प्रारूप निम्नानुसार हो।

सूचित किया जाता है कि मा.शि.बोर्ड,राज.,अजमेर से मुख्य परीक्षा/पूरक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा.................. वर्ष .... अनुक्रमांक .... सहित उत्तीर्ण करने से संबंधित मेरा मूल/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र वास्तव में खो गया/नष्ट हो गया/खराब (विकृत) हो गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ....

फोन नं................................ **अभ्यर्थी का नाम.......................................**

मोबाईल नं. .... **पूरा पता...**

3. सामान्यतः आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा ही प्रमाण पत्र/अंकतालिका सह प्रमाण पत्र भेजा जावेगा।
4. विशेष परिस्थितियों में यदि विद्यार्थी चयनकर्ता संस्था के साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने की पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दें तथा सहायक निदेशक परीक्षा प्रथम/द्वितीय/उप निदेशक परीक्षा I/II/

निदेशक (परीक्षा)/विशेषाधिकारी (परीक्षा)/सचिव मे से कोई एक अधिकारी प्रार्थी को स्वयं को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र By Hand अंकतालिका सह प्रमाण पत्र तत्काल देने के तथ्य से संतुष्ट हो तथा विद्यार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 1.30 P.M तक जमा करा दिया हो तो कोई फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति लेकर संबंधित पत्रावली पर रख कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करा प्रमाण पत्र हाथों हाथ जारी किया जावेगा। सहायक निदेशक परीक्षा II ऐसे जारी किये गये दस्तावेजों का स्थायी रजिस्टर भी संधारित करेगें।

5. यह व्यवस्था कार्यालय में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही लागू मानी जावेगी।

वर्ष 2006 से पूर्व के प्रमाण पत्रों के लिये शुल्क तथा डाक से भेजने की प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी।

6322-39
4/8/11

3/8/11
सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशेषाधिकारी (परीक्षा) मा.शि.बोर्ड
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी मा.शि.बोर्ड
3. निदेशक – (परीक्षा) मा.शि.बोर्ड
4. उप सचिव मा.शि.बोर्ड
5. उप निदेशक – (गोपनीय) मा.शि.बोर्ड
6. उप निदेशक – (लेखा) मा.शि.बोर्ड
7. उप निदेशक – (परीक्षा I) मा.शि.बोर्ड
8. उप निदेशक – (परीक्षा II) मा.शि.बोर्ड
9. ए.सी.पी. मा.शि.बोर्ड
10. वरिष्ठ सहायक निदेशक – (शैक्षिक) मा.शि.बोर्ड
11. वरिष्ठ सहायक निदेशक –(विधि) मा.शि.बोर्ड
12. सहायक निदेशक– (जनसर्म्पक) मा.शि.बोर्ड
13. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय, मा.शि.बोर्ड
14. निजी सहा. (सचिव) मा.शि.बोर्ड
15. सहायक निदेशक (परीक्षा प्रथम,द्वितीय) मा.शि.बोर्ड
16. सहायक निदेशक (गोपनीय)
17. समस्त अनुभाग अधिकारी मा.शि.बोर्ड
18. रक्षित पत्रावली

3/8/11
सचिव